कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री आयुद्ध निर्माणी, कालपी रोड, कानपुर ।**

प्रा0प0सं0- **425/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री सुरेश कुमार, कार्यवेक्षक-।। ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 8-12-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न प्रश्न पूछे गये हैः-

1-स्क्रेप आदि की बिक्री पर करदेयता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है।

2-लेखा परिक्षण रिपोर्ट वार्षिक विवरणी, एवं प्रवेशकर आदि से विमुख किया जाय ।

3-मशीन पर प्रवेशकर के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है।

2- व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-। वाणिज्य कर, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा अपने पत्रांक 3220 दिनांक 30-12-08 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि इस इकाई को धारा-21(17)के प्राविधान से मुक्त किये जाने की कोई आवश्यकता नही है । यदि मशीनरी का आयात करके उसका प्रयोग किसी निर्माता इकाई मे कैपिटल गुडस के रुप मे किया जाता हो तो शासकीय विज्ञप्ति सं0927 दि0 18.2.03 के अनुसार उस पर प्रवेशकर की देयता नही होगी ।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री सुरेश कुमार, कार्यवेक्षक-।। उपस्थित हुयें तथा उक्त की जानकारी देने का अनुरोध किया ।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों व श्री सुरेश कुमार, कार्यवेक्षक-।। द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया और पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2-क के कमांक 224 के अन्तर्गत स्क्रेप के सम्बन्ध में निम्न प्रविष्टि है :-

224	Scrap of plastic, glass and metals, and broken glass.

प्रश्नसं01- व्यापारी द्वारा यह नही बताया है कि वह किस प्रकार के स्क्रेप पर कर की दर जानना चाहते है । अतः उपरोक्तानुसार उपरोक्त तीनो तरह के स्क्रेप पर 4प्रतिशत की दर से करदेयता होगी। प्रश्नसं02- धारा-59 की परिध मे नही आता है । अतः उक्त का उत्तर देना सम्भव नही है । प्रश्नसं03- मशीन पर प्रवेश कर दस लाख एवं इससे ऊपर 2 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगी तथा दि0 1.6.09 से मशीन पर प्रवेश कर समाप्त किया गया है ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को ,एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 12, अगस्त,2009

ह0 12.8.09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सत्यापित प्रतिलिपि

12/8/09